गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान्। अनुसूचित जातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने का मापदण्ड यह है कि समुदाय अस्पृश्यता की पारम्परिक प्रथा से उत्पन्न अत्यन्तसामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित होना चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए मापदण्ड यह है कि समुदाय में आदिकालीन लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, समुदाय से सम्पर्क में अधिकतर संकोच और पिछड़ापन होना चाहिए ।

जवानों और प्रारक्षित सैनिकों (रिजर्विस्ट्स) को पेंशन

3579. **श्री भीखाभाई** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 वर्ष की सेवा करने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले जवान को कितनी मासिक पेंशन दी जाती है और ऐसे जवान को कितनी मासिक पेंशन दी जाती है जिसे 7 या 11 वर्ष की सेवा के बाद रिजर्व सैनिक घोषित किया जाता है ;

(ख) क्या इन दो श्रेणियों के जवानों को दी जाने वाली मासिक पेंशन में बहुत अधिक अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) 15 वर्ष तक सक्रिय सेवा करने के बाद सेवा निवृत्त होने वाले जवानों के लिए पेंशन की वर्तमान दर 120 रुपये से 151 रुपये प्रति माह है । 7 साल तक सक्रिय सेवा करने के बाद जो जवान रिजर्व स्थापना में स्थानातरित कर दिया जाता है वह रिजर्व अवधि पूरी कर लेने के बाद रिजर्व सैनिक के रूप में 50 रुपये प्रतिमाह पेंशन पाने का हकदार है । नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी जवान को 11 वर्ष तक सक्रिय सेवा कर लेने के बाद रिजर्व स्थापना में स्थानान्तरित नही किया जाता ।

(ख) और (ग) रिजर्व सेवा, पूर्णकालिक सरकारी सेवा नही है । और इसलिए पेंशन संबंधी लाभ देने के लिए इसे सक्रिय सेवा के समान नही माना जा सकता । इसके अलावा रिजर्व सैनिक नियमित सैनिक की तुलना में कम वर्षों तक सक्रिय सेवा में रहता है ।

जनता के विभिन्न आय और व्यय वर्गों के वर्गवार आंकड़े और प्रतिशतता

3580. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1976-79 के वर्षों में जनता के विभिन्न आय और व्यय वर्गों के वर्गवार आंकड़े और प्रतिशतता क्या-क्या थीं ;

(ख) क्या 1977-1979 के वर्षों के दौरान वितरण में कोई परिवर्तन दर्ज किए गए थे;

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं और क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं की; और

(घ) इस बात को देखने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है कि भविष्य में इस प्रकार के आंकड़े प्रति वर्ष एकत्रित किए जाएं ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) अभी तक आय के संबंध में सूचना एकत्र नहीं की गई है । उपभोक्ता व्यय के आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 1977-78 के लिए एकत्र किए गए थे और परिणामों का सारणीयन कार्य पूरा किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). परिवर्तन का मूल्यांकन नही किया जा सकता क्योंकि व्यय के आंकड़े केवल एक वर्ष अर्थात् 1977-79 की अवधि के दौरान 1977-78 में एकत्र किए गए थे ।

(घ) इस समय इन आंकड़ों को प्रतिवर्ष एकत्र करने की कोई योजना नही है ।

राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन

3581. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज भाषा अधिनियम का उल्लघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : राज भाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(1) में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान में विनिर्दिष्ट 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी, अर्थात् 26 जनवरी, 1965 के बाद भी, संघ के सरकारी प्रयोजनों तथा ससद् के कार्य संचालन के लिए, हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जा सकेगा ।

राजभाषा अधिनियम में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रेस-विज्ञप्तियों, आदि कुछ प्रयोजनों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य है । कुछ अन्य मामलों में हिन्दी पत्रादि के साथ अंग्रेजी भाषा में उन के अनुवाद भेजे जाना और कुछ कामों के लिए केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है ।

राजभाषा अधिनियम में किसी प्रकार के दण्ड की व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार की यह सुविचारित नीति है कि संघ के सरकारी काम काज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए और इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। तथापि, राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सरकार दंड का सहारा लेने के बजाए अनुनय-विनय और प्रोत्साहन का मार्ग अपनाना अधिक उपयुक्त समझती है।

राजभाषा अधिनियम के उल्लंघन के जो भी मामले दृष्टि में आते है उन की ओर सबधित मंत्रालयों-विभागों आदि का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है।

भारतीय महिलाओं के संगठन द्वारा प्रदर्शन

3582. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय महिला संगठन के तत्वाधान में महिलाओं ने दिनांक 10 जून, 1980 को इन्द्र प्रस्थ मार्ग दिल्ली स्थित पुलिस मुख्यालय पर एक प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या थी; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) प्रदशनकारियो का आरोप था कि मृतक श्रीमती जसवन्ती की हत्या उसके पति तथा ससुराल वालों द्वारा की गई है और मांग की थी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाय।

(ग) नांगलोई थाने में भा० द० सं० की धारा 306 34 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है और मृतक के पति को 10-6-1980 को गिरफ्तार किया गया था।

दहेज के कारण होने वाली मौतों को रोकने के उपाय

3683. **श्री तारिक अनवर :**
श्री अरविन्द नेताम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दहेज के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) यदि हां, तो कब और इस बारे में रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) : किए गए उपाय इस प्रकार हैं :—

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को संशोधित करने और कथित अधिनियम को और प्रभावशाली तथा कड़ा करने के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं। अपेक्षित कानूनी उपाय जैसे ही पूरे कर लिये जाएंगे उनको सदन के समक्ष लाया जाएगा। समस्या को सामाजिक दबाव के जरिए भी सुलझाना पड़ेगा। राज्य सरकारें, संघ शासित क्षेत्र और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्न शील हैं ताकि दहेज की बुराई की निन्दा कारगर और व्यापक रूप से की जाय। आकाशवाणी और दूरदर्शन इस अभियान में सहायता करते हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों से सम्पर्क कर रहा है।

राष्ट्रीय एकता परिषद्

3584. **श्री तारिक अनवर :**
श्री अरविन्द नेताम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय एकता परिषद् गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख). मामला सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र निर्णय लिए जाने की संभावना है।

BHEL-Siemens Collaboration

3585. **SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1069 on the 19th March, 1980 regarding collaboration between BHEL and Siemens and state:**

(a) whether the report of the Committee on the collaboration agreement